| विद्या परम् ऐश्वर्यम् । ।

अकादिमक वर्ष 2025-26 प्रारम्भिक प्रवेश परीक्षा

कक्षा ६ हेतु निःशुल्क आवेदन पत्र (बालक) (यह आवेदन पत्र बालिकाओं हेतु मान्य नहीं है) फॉर्म सं०

* यदि छायाप्रति हो तो[X UPWB553885

नया क्रमांक नोटः आवेदन पत्र को भरने से पूर्व अर्हतायें तथा संलग्नक 'अ' एवं 'ब' महत्वपूर्ण सूचनाओं का अध्ययन अवश्य कर लें। 1. राजस्व विभाग द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र के अनुसार आवेदक राज्य के जनपद के ग्रामीण क्षेत्र का स्थायी निवासी हो तथा उसके सम्पूर्ण परिवार की वार्षिक आय दो लाख रुपया से अधिक न हो। फोटोयुक्त राजकीय पहचान पत्र अथवा आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न करें। आवेदक का नवीनतम आय तथा स्थायी निवास सहित सभी प्रमाण पत्रों की छायाप्रति तथा प्रत्येक पर आवेदन पत्र का क्रमांक लिखकर संलग्न करना अनिवार्य है। 2. आवेदक ग्रामीण क्षेत्र में स्थित राजकीय अथवा मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय से कक्षा 3, 4 उतीर्ण होकर कक्षा 5 में अध्ययनरत हो। (अधिकतम ३ माह पुराना) 3. विद्याज्ञान प्रवेश परीक्षा अर्न्तगत लिखित परीक्षा हेतु मात्र एक अवसर ही अनुमन्य होता है। फोटो जिस पर तिथि 4. दिनांक 31मार्च 2025 को बालिका की आयु 10 से 12 वर्ष तथा बालक की आयु 10 से 11 वर्ष के मध्य हो । 5. आवेदन पत्र भरकर जमा करने की <mark>अन्तिम तिथि 10 अक्टूबर 2024 है।</mark> प्रारम्भिक प्रवेश परीक्षा की तिथि 01 दिसम्बर 2024 है। मुद्रित हो यहाँ 6. दूरभाष, जन्मतिथि, आधार कार्ड के अंक तथा बैंक सम्बन्धी शब्द अंग्रेजी में तथा शेष आवेदन पत्र हिन्दी भाषा में भरने के उपरान्त एक चिपकायें छायाप्रति कराकर (<mark>छायाप्रति अपने पास सुरक्षित रख लें</mark>) मूल प्रति खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करा दें। आवेदन पत्र 3.5 सेमी X 4.5 सेमी फोटोयुक्त राजकीय पहचान पत्र अथवा आधार कार्ड की छायाप्रति तथा प्रवेश—पत्र के साथ ही परीक्षा कक्ष में पहुँचने की अनुमति है। आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरने के उपरान्त क्रमांक 18 की घोषणा पर हस्ताक्षर अनिवार्य है अन्यथा निरस्त हो जायेगा। 8. आवेदन पत्र तथा विद्याज्ञान स्कूल में प्रवेश स्वीकार अथवा अस्वीकार करने सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार विद्याज्ञान में निहित रहेगा। (अभिभावक फोटो पर हस्ताक्षर करें) आवेदक का नामः 2 लिग बालिका बालक 1 आवेदक का फोटोयुक्त राजकीय पहचान पत्र अथवा आधार कार्ड संख्या 3. 5. 31 मार्च 2025 को आयु : जन्म तिथि: दिन माह वर्ष (बालक आवेदक जिनका जन्म 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2014 के मध्य हुआ हो, ही आवेदन कर सकते हैं) आवेदक के दादा का नामः पिता का नाम : 6. ···· पुत्री श्री : ' माता का नाम : अध्ययनरत विद्यालय का नाम व पताः राजकीय 8. मूल निवास का पता (मूल निवास प्रमाण–पत्र तथा आवेदक आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न करें।) जनपद के ग्रामीण क्षेत्र का स्थायी निवासी पात्रता है ग्राम का नाम : पोस्ट ऑफिस विकास खण्ड तहसील जिला 10. आवेदक का सम्पर्क-दूरभाष (1) 11. आधार कार्ड न0 12 बैंक खाता न0 (अभिभावक का) (अभिभावक का) 13 पिता के बैंक का नाम आई.एफ.एस.सी. कोड शाखा **IFSC CODE** 14. पिता / अभिभावक का नाम ' परीक्षार्थी आवेदक से सम्बन्ध निवासी ग्राम ' पोस्ट' तहसील जनपद अभिभावक / सरक्षक के नाम एवं सम्बन्ध तथा हस्ताक्षर आवेदक के हस्ताक्षर 15. विद्यालय / विद्यालयों का विवरण जहाँ से कक्षा 3, 4 की परीक्षा उत्तीर्ण की है तथा कक्षा 5 में अध्ययनरत है :– डाइस / पैन नम्बर सम्बन्धी विवरण *यदि मान्यता प्राप्त एस० आर० कक्षा अध्ययनरत विद्यालय विद्यालय में प्रथम निजी विद्यालय है विद्यालय का आवेदक का प्रवेश का दिनांक का नाम एवं पता पृष्ट संख्या तो पजीकरण संख्या पैन नम्बर यू–डाइस नम्बर कक्षा-3 कक्षा-4 कक्षा-5 विद्यालय के प्रधान अध्यापक द्वारा आवेदक का फोटो सत्यापित कर विद्यालय पंजिका के क्रमांकपर दर्ज कर अग्रसारित। प्रधान अध्यापक के हस्ताक्षर एवं मोहर प्राप्ति फॉर्म सं० विद्याज्ञान स्कूल में प्रवेश हेतु प्रारम्भिक लिखित परीक्षा 2025–26 का आवेदन एवं प्रवेश–पत्र दिनांक को निम्न प्रमाण–पत्रों सहित * यदि छायाप्रति हो तो [XUPWB553885 आवेदक / अभिभावक / प्रधान अध्यापक के माध्यम से प्राप्त किया। नया क्रमांक 1. 2. हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता मोहर सहित * विकास खण्ड संशाधन केन्द्र द्वारा प्रदान किया जायेगा

पद.....

परिवार (प्रति एवं १	पन्नी की सम्मन्नित आरा) की	कल वार्षिक आरा (राजस्व विभा	ग टारा निर्गत थारा प्रमाण–पत्र संलग्न त	ज्यें I) स्कृत
	कृषि से	नौकरी से		
ा की कुल आय	कृषि से	नौकरी से	अन्य स्त्रोतों से (स्पष्ट करें)	योग
Т				
पिता / अभिभाव	क के परिवार की कुल भू	मि का ब्यौरा :		
जोत बही के अन्	नुसार खतौनी खाता सं0 .		कुल भूमि का क्षेत्रफल (ह	हेक्टेयर में)
पिता / अभिभा	विक का कुल भूमि में अंश	· ;		
आवेदक				के अभिभावक द्वारा घोषणा :
i) मेरे पाल्य (पुत्र / पुत्री) द्वारा विद्याज्ञान प्रवेश परीक्षा हेतु प्रथम बार आवेदन किया जा रहा है। मैं यह भी घोषित करता / करती हूँ कि मेरे पाल्य द्वारा इससे पूर्व अपने सम्बन्धी अथवा अभिभावक के अन्य किसी पते से विद्याज्ञान प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन नहीं किया गया है।				
। मुझको यह विदित है कि यदि मेरा पाल्य प्रारम्भिक प्रवेश परीक्षा के प्रत्येक खण्ड में न्यूनतम अंकों के साथ सफल होकर मुख्य परीक्षा हेतु श्रेष्ठ अभ्यार्थियों की श्रेणियों में सम्मलित होता है तो विद्याज्ञान की वेबसाइट पर प्रकाशित परीक्षा परिणाम ज्ञात कर मुख्य परीक्षा हेतु अग्रेतर कार्यवाही करना है।				
मेरे द्वारा अपूर्ण, असत्य या गलत सूचना देने (आय, स्थायी निवास, न्यूनतम अथवा अधिकतम आयु सम्बन्धी त्रुटिपूर्ण सूचना) पर विद्याज्ञान स्कूल को मेरे पाल्य (पुत्र / पुत्री) द्वारा प्रवेश हेतु विद्याज्ञान आवेदन पत्र अथवा इस प्रकार विद्याज्ञान स्कूल में प्राप्त प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।				
) मेरे परिवार (स्वयं मैं और मेरी पत्नी / पति) की समस्त श्रोतों से कुल वार्षिक आय दो लाख रुपये से अधिक नहीं है।				
i) मेरे पाल्य (पुत्र / पुत्री) का नाम एवं जन्म तिथि उपरोक्त वर्णित है और सही है और डेटा में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कराया है। मैं उसके संशोधित करने हेतु अनुरोध नहीं करूँगा / करूँगी।				
कि विद्याज्ञान स्कूल में प्रवेश हेतु प्रारम्भिक परीक्षा सम्बन्धी उपरोक्त आवेदक के परिवार के सम्बन्ध में प्रेषित समस्त सूचनायें सही है और मेरे द्वारा मेरे पाल्य के विषय में किसी प्रकार के तथ्यों अथवा बीमारी से सम्बन्धित सूचना तथा अन्य किसी तथ्य को छिपाया नहीं गया है।				
a) यह कि मेरे पाल्य का वर्तमान शिक्षण संस्थान का पता मेरे स्थायी आवास के पता एवं जनपद भिन्न है और उसका विवरण निम्न प्रकार है				
) यह कि मैंने विद्यालय प्रवेश सम्बन्धी पात्रता सें कोई संसोधन नहीं कराया है। यदि कोई सूचना अपूर्ण, असत्य अथवा गलत पायी जाती है तो उसके लिए मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।				
न) यदि आवेदन पत्र में वर्णित मेरी तथा मेरे पाल्य के आवेदन पत्र में वर्णित व्यक्तिगत विवरण—जन्म तिथि, दूरभाष, बैंक खाता संख्या, आधार कार्ड सम्बन्धी सूचनाओं को किसी भी रूप में, जिसमें डिजिटाइजेशन भी सम्मलित है, संग्रहित किया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है मैं आवेदन—पत्र के साथ मेरे परिवार से सम्बन्धित निम्नलिखित प्रमाण—पत्र (कृपया ☑ करें) की छायाप्रति तथा प्रत्येक पर 'आवेदन—पत्र का क्रमांक' लिखकर संलग्न कर रहा हूँ—				
राजस्व विभाग द्वारा निर्गत आय प्रमाण–पत्र।				
राजस्व विभाग द्वारा निर्गत जनपद के ग्रामीण क्षेत्र के स्थायी निवास सम्बन्धित प्रमाण–पत्र।				
चिकित्सा विभाग द्वारा निर्गत आयु सम्बन्धी प्रमाण–पत्र।				
. आवेदक विद्यार्थी का फोटोयुक्त राजकीय पहचान पत्र अथवा आधार कार्ड ।				
मुझको यह विदित है कि यदि मेरा पाल्य प्रारम्भिक परीक्षा में सफल होकर मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यार्थियों की श्रेणी में सम्मलित होता है तो विद्याज्ञान की वेबसाईट पर प्रकाशित परीक्षा परिणाम एवं संलग्न प्रथक प्रारूप पर अथवा सूचना के साथ संलग्न प्रथक प्रारूप पर सूचना भरना अनिवार्य है।				
स्वेच्छा से आवेदन प्रति परीक्षा केन्द्र	हि कि मैंने विद्याज्ञान स्कूल में प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी समस्त सूचनाओं संलग्न 'अ' एवं नियमों को अपनी आंचलिक भाषा में समझ लिया है और स्वय वेच्छा से आवेदन कर रहा हूँ। मुझको विद्याज्ञान में प्रवेश सम्बन्धी समस्त नियम स्वीकार हैं। आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करने के उपरान्त उसकी छाया ति परीक्षा केन्द्र हेतु सुरक्षित रख ली है। मुझको यह विदित है कि यदि मेरे पाल्य का लिखित परीक्षाओं के उपरान्त भौतिक सत्यापन संक्षिप्त परीक्षा एव ारस्परिक संवाद एवं चिकित्सा परीक्षण में सफल न होने पर विद्याज्ञान में प्रवेश नहीं हो पाता है तो मुझको स्वीकार है।			
	ा की कुल आय पिता / अभिभाव जोत बही के अन् पिता / अभिभाव जोत बही के अन् पिता / अभिभाव अवेदक मेरे पाल्य (पुत्र / पूर्व अपने सम्बन्धी मेरे परिवार (स्वयं मेरे पाल्य (पुत्र / पुत्री) मेरे परिवार (स्वयं मेरे पाल्य (पुत्र / पुत्री) मेरे परिवार (स्वयं मेरे पाल्य (पुत्र / पुत्री) मेरे परिवार (स्वयं मेरे पाल्य के विषय में यह कि मेरे पाल्य यह कि मेरे विद्या मेर परालय के विषय में यह कि मेरे पाल्य यह कि मेरे पाल्य यह कि मेरे विद्या स्वनाओं को किः परिवार से सम्बन्धि राजस्व विभाग उत्तर्वा विभाग अवेदक विद्याञ्चा यह कि मैंने विद्या स्वनाओं विभाग उत्तर्वा विभाग स्वनाओं विभाग स्वनाओं को किः परालस्व विभाग स्वनाओं विभाग स्वनाओं को किः परालस्व विभाग स्वनाओं विद्या प्रालस्व विभाग स्वनिकत्सा विभाग स्वनिकत्सा विभाग स्वनिवार्थ यह कि मैंने विद्या स्वेद्या से आवेदन प्रति परीक्षा केन्द्र	ा की कुल आय कृषि से पिता / अभिभावक के परिवार की कुल भू जोत बही के अनुसार खतौनी खाता संव पिता / अभिभावक का कुल भूमि में अंश अावेदक भेरे पाल्य (पुत्र / पुत्री) द्वारा विद्याज्ञान प्रवेश पूर्व अपने सम्बन्धी अथवा अभिभावक के अन्य मुझको यह विदित है कि यदि मेरा पाल्य प्रार्श को श्रेणियों में सम्मलित होता है तो विद्याज्ञान भेरे द्वारा अपूर्ण, असत्य या गलत सूचना देने पाल्य (पुत्र / पुत्री) द्वारा प्रवेश हेतु विद्याज्ञान भेरे परिवार (स्वयं मैं और मेरी पत्नी / पति) की मेरे पाल्य (पुत्र / पुत्री) का नाम एवं जन्म ति संशोधित करने हेतु अनुरोध नहीं करूँगा / क कि विद्याज्ञान स्कूल में प्रवेश हेतु प्रारम्भिक प्र पाल्य के विषय में किसी प्रकार के तथ्यों अथव यह कि मेरे पाल्य का वर्तमान शिक्षण संस्थान राजस्व विभाग द्वारा निर्गत आय प्रमाण—पर राजस्व विभाग द्वारा निर्गत जनपद के ग्रा विकित्सा विभाग द्वारा निर्गत आय प्रमाण—पर राजस्व विभाग द्वारा निर्गत आय प्रमाण—पर स्वाज्ञान की वेबसाईट पर प्रकाशित पर्र भरना अनिवार्य है। यह कि मैंने विद्याज्ञान स्कूल में प्रवेश परीक्षा स्वेच्छा से आवेदन कर रहा हूँ। मुझको विद्याः प्रति परीक्षा केन्द्र हेतु सुरिक्षित रख ली है। मुझ	ा की कुल आय कृषि से	ा को कुल आय वृधि सं

अभिभावक / सरक्षक का नाम एव सम्बन्ध

अभिभावक / संरक्षक के हस्ताक्षर

- नोट : 1. विद्याज्ञान प्रवेश परीक्षा 2025—26 हेतु प्रवेश—पत्र के अनुसार निर्धारित केन्द्र पर निर्धारित समय पर बालिकाओं हेतु प्रातः 10:30 बजे से 12:30 बजे तथा बालकों हेतु दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक परीक्षा होगी | दोनों पालियों हेतु प्रथक—2 प्रश्न पत्र निर्धारित किये जाते हैं |
 - 2. उत्तर प्रदेश में कक्षा 3, 4 तथा 5 के प्रचलित पाठ्यक्रम भाषा (हिन्दी एवं अंग्रेजी), गणित, अभिरूचि (Aptitude) तथा सामान्य ज्ञान के क्षेत्र में विद्यार्थी का ज्ञान एवं समझ का परीक्षण किया जाता है और प्रश्न पत्र के प्रत्येक खण्ड में न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।
 - 3. उपरोक्त भरे हुए आवेदन—पत्र की छायाप्रति प्राथमिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु सुरक्षित रख ली है। परीक्षा कक्ष में पहचान हेतु आवेदन—पत्र की छायाप्रति, प्रवेश—पत्र तथा फोटोयुक्त राजकीय पहचान पत्र अथवा आधार कार्ड की प्रति साथ लेकर जाना है।
 - 4. आवेदन पत्र के साथ संलग्नक 'अ' जिसमें प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिका का मॉडल / नमूना तथा विद्याज्ञान स्कूल में प्रवेश प्रक्रिया सम्बन्धी समस्त महत्वपूर्ण सूचनाओं एवं नियमों को अपनी आंचलिक भाषा में समझ कर कार्यवाही की जा रही है।